Shahri Adhikar Manch: Begharon Ke Saath
शहरी अधिकार मंचः बेघरों के साथ

Urban Rights Forum: With the Homeless

प्रेस-विज्ञप्ति

नई दिल्ली, 29 अप्रैल 2014

शहरी अधिकार मंच के दस्तावेज 'शहरी अधिकार मंचः बेघरों के साथ संघर्ष यात्रा' का विमोचन

शहरी अधिकार मंचः बेघरों के साथ ने 'शहरी अधिकार मंचः बेघरों के साथ संघर्ष यात्रा' नामक दस्तावेज 29 अप्रैल, 2014 नई दिल्ली के इंडियन वीमेन प्रेस कॉर्प्स में जारी की। इस दस्तावेज में पिछले एक दशक से अब तक बेघर हुए नागरिकों के संघर्ष को बयां किया गया है। दस्तावेज में शहरी अधिकार मंच के सदस्यों के साथ-साथ बेघर हुए लोगों ने अपने अनुभवों को साझा किया है। शहरी अधिकार मंच के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की बीस से ज्यादा स्वयंसेवी संस्थाएं और बेघर लोग जुड़े हुए हैं।

बेघर मजदूर संघर्ष समिति और शहरी अधिकार मंच के सदस्य अशोक पाण्डे ने बताया कि किस प्रकार बेघरों के हक और उनके मानवाधिकारों की पैरवी के लिए शहरी अधिकार मंच ने लड़ाई लड़ी।

दिल्ली के पुल मिठाई इलाके की रहने वाली बेघर पूनम देवी ने बताया कि किस प्रकार पिछले कुछ वर्षों में पुल मिठाई के निवासियों को बार-बार जबरन बेदखली झेलनी पड़ी। उन्होंने यह भी बताया कि शहरी अधिकार मंच की वजह से ही वहां के निवासी जबरन बेदखली के खिलाफ अपनी आवाज पुलिस और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा पाये।

बेघरों के हक की लड़ाई लड़ रहे और शहरी अधिकार मंच के सदस्य अब्दुल शकील ने बताया कि किस प्रकार शहरी अधिकार मंच ने बेघरों के लिए राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मजदूर कार्ड, स्वास्थ्य बीमा इत्यादि की व्यवस्था कराई। साथ ही शहरी अधिकार मंच ने नगर निर्माताओं (मजदूरों) को उनके अधिकारों और मिलने वाली अन्य सुविधाओं के प्रति जागरूक किया।

हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क की कार्यकारी निदेशक शिवानी चौधरी ने शहरी अधिकार मंच की संघर्ष यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस दस्तावेज में दिल्ली में बेघर नागरिकों पर हो रहे असंवैधानिक और अमानवीय व्यवहार एवं उनके मानवाधिकारों के हनन जैसे मुद्दों को मजबूती से उठाया गया है। शिवानी चौधरी ने कहा कि मंच का उद्देश्य रणनीतिक हस्तक्षेप के साथ-साथ समाज को एकजुट करते हुए बेघर नागरिकों का मजबूत संगठन खड़ा करना है। मंच अपने कार्यों के माध्यम से समाज, मीडिया, नेटवर्किंग और कानूनी मसलों पर लोगों को जागरूक कर बेघर नागरिकों के मानवाधिकार को बचाने के लिए प्रयासरत है। संषर्ष के अगले चरण में शहरी अधिकार मंच और अधिक सक्रियता से आवास के अधिकार पर दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग सहित विभिन्न एजेंसियों के सामने बेघरों के मुद्दों को जोरशोर से उठाता रहेगा।

नेशनल फोरम फॉर हाउसिंग राइट्स के राष्ट्रीय संयोजक और शहरी अधिकार मंच की कार्यकारिणी के सदस्य इन्दु प्रकाश सिंह ने कहा कि मीडिया के सक्रिय सहयोग के चलते ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बेघरों के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि हालांकि वे नगर निर्माताओं (मजदूरों) के साथ 1999 से कार्य कर रहे हैं, लेकिन शहरी अधिकार मंच और मीडिया के सक्रिय सहयोग की बदौलत अल्प और दीर्घकालीन मुददे दिल्ली सरकार और दिल्ली उच्च न्यायालय तक पहुंचाये जा सके। इन्दु प्रकाश सिंह ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दिल्ली के डेढ़ लाख बेघरों के लिए पर्याप्त स्थायी आवासगृह उपलब्ध हों। ये स्थायी आवासगृह अंतर्राष्ट्रीय मानकों और शहरी अधिकार मंच द्वारा दीर्घकालीन दस्तावेज में सुझाये गये तरीकों के अनुरूप होने चाहिए।

शहरी अधिकार मंच आशा करता है कि 'शहरी अधिकार मंचः बेघरों के साथ संघर्ष-यात्रा' नामक यह दस्तावेज बेघर नागरिकों के मुद्दों पर अन्य शहरों में कार्यरत लोगों के लिए एक मार्गदर्शिका साबित होगी।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
इंदु प्रकाश सिंह (9911362925) शिवानी चौधरी (9818205234)
अब्दुल शकील (9871550857) सुनील कुमार आलेडिया (9811327037)